न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमंडी, जिला कोटा(राज.) Present : **MANSI RAJPUT (R.J.S.)** Date of the Judgement : 28-07-2026 Criminal Case No. 148/2016 (Details of FIR No. 26/2016 PS morak, Distt. Kota	
Complainant	State of Rajasthan
PRESENTED BY	श्री महेन्द्र कुमार जोलिया, विद्वान अभियोजन अधिकारी
APPEALLANT/ACCUSED	1. बृजेश कुमार पुत्र घनश्याम, जाति मीणा-उम्र,-30 साल निवासी- मोडक गांव के पास, जिला-कोटा राज. 2. नरेश कुमार पुत्र घनश्याम, जाति मीणा-उम्र-27 साल, निवासी- मोडक गांव के पास, जिला-कोटा राज.
REPRESENTED BY	श्री चेतन माहेश्वरी, अधिवक्ता

<u>B</u>

Date of Offence	11-02-2016
Date of FIR	11-02-2016
Date of Charge sheet	01-04-2016
Date of Framing of Charges by trial court	22-10-2016
Date of commencement of evidence	17-12-2016
Date on which judgment is reserved	Nil
Date of the Judgment by trial court	-
Date of the Sentencing Order, if any	

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Wxpert Witness, Medical Witness, Panc Witness, Other Witness)
पीडब्ल्यू. 01	भैरूलाल	ताईद फर्द नक्शामौका
पीडब्ल्यू. 02	जितेन्द्र	ताईद फर्द नक्शामौका
पीडब्ल्यू. 03	चंदन कुमार चौहान	तहरीरी रिपोर्ट व ताईद फर्द नक्शामौका
पीडब्ल्यू. 04	बृजमोहन	हालात तफतीश
पीडब्ल्यू. 05	डॉ जितेन्द्र नामा	चिकित्सकीय साक्षी

B. Defence Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
1-	अनिल	डीडब्ल्यू.01
2-	कालूलाल धाकड़	डीडब्ल्यू.02

C. Court Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
1-	निल	निल

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P.-01	फर्द नक्शामौका
2.	Exhibit P.-02	तहरीरी रिपोर्ट
3.	Exhibit P.-03	हाजिरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति

Authenticated Document

4.	Exhibit P.-04	नियुक्ति आदेश
5.	Exhibit P.-05	ज्वाईनिंग आर्डर
6.	Exhibit P.-06	चाक एफआईआर रिपोर्ट
7.	Exhibit P.-07	चंदनकुमार का चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट
8.	Exhibit P.-08	बृजेशकुमार फर्द गिरफ्तारी
9.	Exhibit P.-09	नरेश कुमार फर्द गिरफ्तारी
10	Exhibit P.-10 व 11	धारा 41 सीआरपीसी की चैकलिस्ट

B. Defence:

S.No.	Exhibit Number	Description
	प्रदर्श डी-01	विघुत उपभोग विपत्र

C. Court Exhibits:

S.No.	Exhibit Number	Description
	निल	

D. Material Objects:

S.No	Exhibit Number	Description
	निल	

1. **प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि** दिनांक 11.02.2016 को श्री चन्दन कुमार पुत्र रामेश्वर, जाति राजपूत, उम्र 27 साल निवासी- अराजी परसिया थाना सुखपुरा जिला बलिया (यू.पी.) हाल टेकनिशियन आरएसईबी मोडक गांव ने एक लिखित तहरीरी रिपॉर्ट इस आशय की पेश की कि "मैं दिनांक 11.02.2016 को मैं व भैरूलाल दोनों उपभोक्ता बृजेश पुत्र घनश्याम, जाति मीणा जिस पर बकाया राशि 26287 रुपये होने के कारण मीटर एव विधुत केबल खोला गया एवं अन्य बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ता चेचट चले गये एवं हम दोनों से अन्य बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को मिलकर बकाया वसूली कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये। इसके पश्चात हम

दोनों धाकड पंचायत भवन के सामने से गुजर रहे थे कि अचानक श्री बृजेश कुमार चीता पुत्र घनश्याम चीता एव नरेश पुत्र घनश्याम मीणा आए एवं मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। और मेरे से कहा कि मेरा मीटर व केबल क्यों काटी है। मेरा बीच बचाव भैरूलाल ने करवाया है। मुझे जान से मारने की धमकी दी है.............. इत्यादि।"

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थाना मोडक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/2016 धारा 332, 353 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण बृजेश व नरेश के विरूद्ध धारा 332, 353 आईपीसी में उक्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. उक्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश किये जाने पर अभियुक्तगण बृजेश व नरेश के विरूद्ध धारा 332, 353 आईपीसी के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप का प्रसंज्ञान लिया गया तथा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण बृजेश व नरेश के विरूद्ध धारा 332, 353 आईपीसी के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष ने आरोप के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 भैरूलाल, पी.डब्ल्यू. 02 जितेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 03 चंदन कुमार चौहान, पीडब्ल्यू. 04 बृजमोहन, पीडब्ल्यू. 05 डॉ जितेन्द्र नामा को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 लगायत प्रदर्श पी-11 प्रदर्शित करवाये गये तथा अधिवक्ता अभियुक्त ने आरोप के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में डीडब्ल्यू. 01 अनिल व डीडब्ल्यू. 02 कालूलाल को परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी-01 विद्युत उपभोग विपत्र प्रदर्शित करवाया गया है।

5. अभियुक्तगण बृजेश व नरेश के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान मुलजिम लिये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, जिसमें उन्होंने कथन किया

है कि उनके पास कोई विद्युत कनेक्शन नहीं था। उनका परिवादी के साथ भी कोई झगडा नहीं हुआ था। वे तो भोजन के कार्यक्रम में शामिल थे।

6. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दू है:-

(i) **''क्या अभियुक्तगण बृजेश व नरेश ने दिनांक 11-02-2016 को किसी समय, धाकड समाज के पंचायत भवन के सामने, मोडक गांव में लोक सेवक श्री चन्दन कुमार चौहान, तकनीकी सहायक एवं भैरूलाल हेल्पर आरएसईबी को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए उनके कर्तव्य निर्वहन करने के दौराने निगम की पीसीबी को छीना-झपटी कर फाड दिया एवं उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्वैच्छया उपहति कारित करके उन्हें लोक कर्तव्य के निर्वहन से निवारित किया ?"**

(ii) ''क्या अभियुक्तगण बृजेश व नरेश ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर लोक सेवक श्री चन्दन कुमार चौहान, तकनीकी सहायक एवं भैरूलाल हेल्पर आरएसईबी को अपने कर्तव्य निर्वहन से भयोपरत करने के लिए उनके कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान मारपीट करके उन पर आपराधिक बल का प्रयोग कर उन्हें राजकीय कार्य करने से निवारित किया ?"

7. विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एंव प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

09. इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र रूप से विश्लेशण करें तो प्रकट होता है कि दिनांक 11.02.2016 को श्री चन्दन कुमार पुत्र रामेश्वर, जाति राजपूत, उम्र 27 साल निवासी- अराजी परसिया थाना सुखपुरा जिला बलिया (यू.पी.) हाल टेकनिशियन आरएसईबी मोडक गांव ने एक लिखित तहरीरी रिपॉर्ट इस आशय की पेश की कि "वह दिनांक 11.02.2016 को वह व भैरूलाल दोनों उपभोक्ता बृजेश पुत्र घनश्याम, जाति मीणा जिस पर बकाया राशि 26287 रुपये होने के कारण मीटर एव विधुत केबल खोला गया एवं अन्य बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ता चेचट चले गये एवं वे दोनों से अन्य बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को मिलकर बकाया वसूली कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये। इसके पश्चात वे दोनों धाकड पंचायत भवन के सामने से गुजर रहे थे कि अचानक श्री बृजेश कुमार चीता पुत्र घनश्याम चीता एव नरेश पुत्र घनश्याम मीणा आए एवं उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उससे कहा कि मेरा मीटर व केबल क्यों काटी है। उसका बीच बचाव भैरूलाल ने करवाया था और उसे जान से मारने की धमकी दी है।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष कुल पांच गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से गवाह पीडब्ल्यू. 01 भैरूलाल को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 11-02-2016 को वे जेईन साहब महेन्द्र नागर, चंदन व और भी कर्मचारियो के साथ मोडक गांव राजस्व वसूली के लिए गए थे। जिस पर उनके द्वारा बृजेश का बिजली का बिल बकाया होने के कारण उसके द्वारा बिजल का बिल काट दिया गया था, जिसके बाद जेईन साहब कनेक्शन काटकर उन्हें राजस्व वसूली के लिए मोडक गांव छोड दिया। उसके बाद वहां पर बृजेश मीणा व नरेश मीणा आए और चंदन के साथ मारपीट की और छीना छपटी करके पीसीबी फाड दिया। उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि कनिष्ट अभियंता के द्वारा उनको कार्यवाही करने के लिए लिखित में आदेश दिया गया था। साथ ही यह भी कथन किया गया है कि उनके द्वारा 12.00 पीएम बजे के आस-पास उनके द्वारा बृजेश मीणा के घर का बिजली का कनेक्शन काटा था और उसके बाद धाकडो के नोहरो में धाकड समाज में खाना खाने गए थे, जहां पर 20 से 25 लोग लोग मौजूद थे। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 3 के रूप में परिवादी चंदन कुमार चौहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू. 01 के कथनों की ताईद की है

एवं अपने बयानों में सशपथ कथन किया है कि बृजेश कुमार पुत्र श्री घनश्याम के घर निगम की बकाया की राशि जमा नहीं करने पर कनिष्ठ अभियंता के निर्देश अनुसार कनेक्शन विच्छेद कर मीटर और केबल गाडी में डाल दिया। कोई जप्ती से संबंधित दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने इस बात से इंकार किया है कि वह गवाह पीडब्ल्यू. 01 के साथ किसी भी जगह दिन को खाना खाने नहीं गया था एवं इस बात को स्वीकार किया है कि कनिष्ठ अभियंता ने उसको लिखित में आदेश दिए थे। यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा फाडी गई पीसीबी को न्यायालय के समक्ष पत्रावली में पेश नहीं किया गया है।

11. पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन का मुख्य आधार यह है कि घटना के समय फरियादी एक लोकसेवक के रूप में अपने वैध शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था तथा उसी दौरान अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसे लोक कार्य करने से रोका गया। भारतीय दण्ड संहिता की "धारा 332" के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि (i) पीड़ित व्यक्ति लोकसेवक था (ii) वह घटना के समय अपने वैध लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था अथवा उस कारण से उसके साथ स्वेच्छया चोट कारित की गई तथा (iii) चोट पहुँचाने का उद्देश्य उसे उसके लोक कर्तव्य के निर्वहन से रोकना अथवा उसके द्वारा किए गए लोक कार्य के प्रतिशोध में चोट पहुँचाना था।

12. इसी प्रकार "धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता" के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि (i) पीड़ित व्यक्ति लोकसेवक था, (ii) वह अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था अथवा करने वाला था, तथा (iii) अभियुक्त द्वारा उस लोकसेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या बाधित करने के आशय से उस पर हमला (Assault) अथवा आपराधिक बल (Criminal Force) का प्रयोग किया गया।

13. अतः इन दोनों धाराओं के आवश्यक अवयवों में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि घटना के समय फरियादी वास्तव में अपने वैध शासकीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। इस तथ्य को संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पर था। फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के दिन वह अपने कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिए गए लिखित आदेश के पालन में विद्युत संबंधी कार्यवाही हेतु बाहर गया था। तथापि, पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त लिखित आदेश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रदर्शित उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) के अवलोकन से भी यह तथ्य प्रमाणित होता

है कि जिस अधिकारी के हस्ताक्षर होना बताए गए हैं, उसमें हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 11.02.2016 अंकित है, जबकि प्रस्तुत प्रतिलिपि में उसके पश्चात की तिथियों की उपस्थिति भी अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज़ की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता स्वतः संदेह के घेरे में आ जाती है। अभियोजन अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह उस कनिष्ठ अभियंता अथवा सक्षम अधिकारी को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत करता, जिसने कथित रूप से फरियादी को घटना वाले दिन संबंधित स्थान पर शासकीय कार्य हेतु भेजा था अथवा जिसने लिखित आदेश जारी किया था, जिससे यह सिद्ध हो सके कि घटना के समय फरियादी वास्तव में अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। किन्तु अभियोजन अधिकारी द्वारा ऐसे किसी अधिकारी का परीक्षण नहीं कराया गया। यद्यपि अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि फरियादी का नियमित कार्य ही विद्युत संबंधी कार्यवाही करना था तथा ऐसे कार्यों के लिए पृथक से लिखित आदेश जारी नहीं किए जाते, तथापि यह तर्क स्वयं अभियोजन के साक्ष्य से मेल नहीं खाता। स्वयं फरियादी ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे घटना के दिन लिखित आदेश प्रदान किया गया था तथा अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू. 02 ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में कथित लिखित आदेश को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना करना अथवा उसके अभाव का संतोषजनक स्पष्टीकरण देना अभियोजन का दायित्व था। अभियोजन ऐसा करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है कि घटना के समय फरियादी विधिवत् अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। जब धारा 332 एवं 353 भारतीय दण्ड संहिता के मूल एवं अनिवार्य अवयवों में से एक अर्थात् घटना के समय लोकसेवक का अपने वैध लोक कर्तव्य का निर्वहन करना ही विधिसम्मत साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं हो सका, तब इन धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों का दोषसिद्ध किया जाना विधिसंगत नहीं होगा। अतः न्यायालय का मत है कि अभियोजन धारा 332 एवं 353 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक अवयवों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

14. इसके अतिरिक्त अभियोजन का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के पास उपलब्ध पी.सी.बी. (PCB) को फाड़ दिया गया था। यदि ऐसा वास्तव में हुआ था, तो उक्त पी.सी.बी. इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य (Material Evidence) था। तथापि अभियोजन द्वारा उक्त पी.सी.बी. को न तो जब्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही उसके संबंध में कोई दस्तावेजी अथवा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई। अभियोजन द्वारा इस महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य को प्रस्तुत न किए जाने अथवा उसके अभाव का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिए जाने से अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Authenticated Document

फरियादी एवं अभियोजन साक्षियों ने यह भी कथन किया है कि घटना के दिन वे अपने कनिष्ठ अभियंता के साथ अभियुक्त से विद्युत बकाया राशि (बिजली बिल) की वसूली हेतु गए थे। यदि वास्तव में अभियुक्त के विरुद्ध बकाया विद्युत देयक की वसूली के लिए शासकीय कार्यवाही की जा रही थी, तो अभियोजन के लिए यह अपेक्षित था कि वह संबंधित उपभोक्ता का बकाया बिल, वसूली नोटिस, मांग पत्र, अधिकृत वसूली आदेश अथवा ऐसा कोई अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता, जिससे यह सिद्ध हो सके कि घटना के दिन अभियुक्त के विरुद्ध विधिवत् वसूली की कार्यवाही की जा रही थी। आश्चर्यजनक रूप से अभियोजन द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। न तो कथित बकाया बिजली बिल अभिलेख पर लाया गया, न कोई वसूली नोटिस, न कोई विभागीय अभिलेख और न ही कोई ऐसा दस्तावेज जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त के विरुद्ध वास्तव में किसी प्रकार की वसूली कार्यवाही लंबित थी। अभियोजन द्वारा इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभियोजन का यह कथन कि फरियादी एवं अन्य कर्मचारी अभियुक्त के निवास पर शासकीय कार्य से गए थे, स्वतंत्र एवं विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो सका। फलस्वरूप घटना की पृष्ठभूमि तथा अभियोजन द्वारा वर्णित शासकीय कार्यवाही संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती। जब अभियोजन का संपूर्ण मामला इस आधार पर टिका है कि फरियादी अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था तथा अभियुक्त ने उसी कार्य में बाधा पहुँचाई, तब ऐसे मूलभूत दस्तावेजों एवं भौतिक साक्ष्यों का अभाव अभियोजन के प्रकरण में एक महत्वपूर्ण कमी (material omission) है, जिसका लाभ विधि के अनुसार अभियुक्तगण को प्राप्त होना स्वाभाविक है।

15. इस प्रकार सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण बृजेश व नरेश ने दिनांक 11-02-2016 को किसी समय, धाकड समाज के पंचायत भवन के सामने, मोडक गांव में लोक सेवक श्री चन्दन कुमार चौहान, तकनीकी सहायक एवं भैरूलाल हेल्पर आरएसईबी को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए उनके कर्तव्य निर्वहन करने के दौराने निगम की पीसीबी को छीना-झपटी कर फाड दिया एवं उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्वैच्छया उपहति कारित करके उन्हें लोक कर्तव्य के निर्वहन से निवारित किया एवं साथ ही लोक सेवक श्री चन्दन कुमार चौहान, तकनीकी सहायक एवं भैरूलाल हेल्पर आरएसईबी को अपने कर्तव्य निर्वहन से भयोपरत करने के लिए उनके कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान मारपीट करके उन पर आपराधिक बल का प्रयोग कर उन्हें राजकीय कार्य करने से निवारित किया।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण नरेश कुमार व बृजेश के विरूद्ध धारा 332, 353 आईपीसी का अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है, जिसके लिए अभियुक्तगण नरेश कुमार व बृजेश के विरूद्ध धारा 3332, 353 आईपीसी के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किये जाने योग्य है।

- आदेश-

16 परिणामतः अभियुक्तगण **1. बृजेश कुमार पुत्र घनश्याम, जाति मीणा-उम्र,-30 साल निवासी- मोडक गांव के पास, जिला-कोटा राज. 2. नरेश कुमार पुत्र घनश्याम, जाति मीणा-उम्र-27 साल, निवासी- मोडक गांव के पास, जिला-कोटा राज.** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353 के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्तगण के पूर्व में न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है तथा अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रकिया संहिता के तहत दस-दस हजार रुपए की जमानते व इसी राशि के स्वयं के मुचलके 06 माह की अवधि के लिए इस आशय के प्रस्तुत कर तस्दीक करायें कि वह इस निर्णय के विरूद्ध अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होंगे।

(मानसी राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगंजमंडी, जिला-कोटा (राज.)

18. निर्णय आज दिनांक 28-07-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मानसी राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगंजमंडी, जिला-कोटा (राज.)

Authenticated Document

PAYAL AGARWAL
Digitally signed by PAYAL AGARWAL
Date: 2026.07.30 16:28:37 +0530